


उनवान:- राजेन्द्र प्रसाद बनाम ओमप्रकाश वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

नांक	फर्द अहकाम
12/21	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 31.01.2022 तक गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख०न० 6046/0.21, 6141/0.43, 7149/0.01, 7150/0.21, 7153/0.32, 7225/0.06, 7226/0.03, 7233/0.02, 7300/0.28, 7400/0.56, कुल कित्ता 10 कुल रकवा 0.32 है० ग्राम 9 विश्वा टोडाभीम एवं आराजी ख०न० 605/0.75 ग्राम महेन्द्रवाडा, ख०न० 737/0.51, 745/0.56, 746/0.41, 747/0.31, 875/958/0.11, ग्राम त्रिशूल तहसील टोडाभीम में गैरसायलान का जबाब पेश होने तक सायल के हिस्से में दर्ज भूमि के कब्जे काश्त में मज्राहमत मदाखलत नहीं करे।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेंट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.01.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>

6243-52
27/12/21



फर्द अहकाम

23²/₂₄ पत्रावली पेश हुई। लसील पत्राकारण उपस्थित। गतानुसार दिनांक 15-3-24 को पेश हो।

(5)

15³/₂₄ पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारण वकील उपस्थित। पत्रावली गतानुसार ठलकी व जबाब दिनांक 22⁴/₂₄ को पेश हो।

(5)

22⁴/₂₄ वाली वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... अमल... फर... पच्यो... पत्रावली गतानुसार दिनांक... 1-3-24 को पेश हो।

(5)

5/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं प्रार्थी कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-बार आवाज दिलाई गई, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेद्याना अडम हाजिरी एवं अडम पैरवी में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुक्र होकर नम्बर से कम होकर दारिजल दफ्तर हो।

(5)